न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, I.A.S.

प्रकरण संख्या –51/2018 (प्रार्थना पत्र)

1. रामनारायण आत्मज श्री भैरूलाल जी
2. उदयलाल आत्मज भैरूलाल जी
जाति गुर्जर निवासी ग्राम अरनियां कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (एनएच–52)
2. यूनियन ऑफ इंडिया जरिये महाप्रबन्धक (तक0) एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना, कार्यनवयन ईकाई, (एनएच–52)ए–504, इन्द्रा विहार, कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी(5) दी नेशनल हाइवेज एक्ट 1956 एवं संशोधित अधिनियम 1997 सपठित मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996

उपस्थिति
1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी–2

निर्णय

दिनांक :–06.08.2019

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 3 जी(5) एन.एच.एक्ट 1956 एवं संशोधित अधिनियम 1997 सपठित मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 परियोजना के लिए अवाप्त भूमि के जारी अवार्ड दिनांक 20.09.2017 एवं 16.11.2017 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया है ।
2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम बास्या हेडी तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 411,446,447 कुल 3 किता की कृषि आराजीयात स्थित है । खसरा नम्बर 411 का रकबा 1–12 हे0, एवं खसरा नम्बर 446 का रकबा 0–87 हे0 व खसरा नम्बर 447 का रकबा 0.03 हे0 है । कुल 5 किता की 2–02 हे0 हे0 आराजी स्थित हैं । राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण खातेदार कृषक दर्ज है । राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 52 के निमार्ण हेतु उपरोक्त भूमि में से कुछ भूमि के अवाप्ति की कार्यवाही की गयी है । इस हेतु ग्राम बास्याहेडी के ख0नं0 411 की. 0–4127 हे0, व 0–1377 एवं ख0नं0 446 की 0–0505 हे0 व 0–1901 हे0, ख0नं0 447 की 0–0121 हे0 व 0–0179 हे0 कृषि आराजीयात एवं खसरा नम्बर 447 की 0–0121 हे0 भूमि में प्रार्थीगण का पक्का कुंआ बना हुआ है । जिसके मुआवजे की राशि 12,00,000/– अक्षरे बारह लाख रूपये मात्र एवं ख0नं0 447 में बम्बूल

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

के 4 पेड लगे हुए है,, उक्त वृक्षो का प्रार्थी का मुआवजा नहीं दिया है मुआवजा राशि 1,00,000/– प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रतिपक्षी नं0 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा भूमि का मुआवजा तय कर दिनांक 20.9.2017 एवं दिनांक 16.11.2017 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में घोषित किया जाकर अवार्ड जारी किया गया । दस्तावेज का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी को प्रचलित बाजार दर, डी0एल0सी0 दर से काफी कम कीमत पर प्रार्थी की भूमि की कीमत का मूल्यांकन कर मुआवजा राशि निर्धारित की गयी है जो अनुचित है । प्रार्थी प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि प्राप्त करने का एवं नियमानुसार सोलेशियम की राशि एवं अन्य देय लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रार्थीगण की भूमि का 5,18,630/– प्रति हेक्टेयर की दर से अर्थात 82,980/– प्रति बीघा की दर से तीन गुना मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है जबकि प्रार्थी प्रचलित बाजार दर के आधार पर 2,53,500/– प्रति बीघा के तीन गुना के हिसाब से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है उपरोक्त दर से समीप की भूमि विक्रय की गयी है, पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न है । प्रार्थी को अवार्ड पारित किये जाने की, दिनांक 23.5.2018 से पूर्व कोई जानकारी नहीं थी । अवार्ड पारित होने की सर्वप्रथम जानकारी की तारीख 23.5.2018 से यह प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः प्रार्थी को प्रचलित बाजार दर 2,53,500/– प्रति बीघा के तीन गुना के हिसाब से भूमि की कीमत की गणना कर मुआवजा सोलेशियम की राशि व अन्य देय लाभ प्रार्थी को दिये जाने के सम्बन्ध में संशोधित अवार्ड पारित किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें ।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है । वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त भूमि इसं हेतु ग्राम बास्याहेडी के ख0नं0 411 की 0–4127 हे0, व 0–1377 एवं ख0नं0 446 की 0–0505 हे0 व 0–1901 हे0, ख0नं0 447 की 0–0121 हे0 व 0–0179 हे0 कृषि आराजीयात एवं खसरा नम्बर 447 की 0–0121 हे0 भूमि में प्रार्थीगण का पक्का कुंआ बना हुआ है । जिसके मुआवजे की राशि 12,00,000/– अक्षरे बारह लाख रूपये मात्र एवं ख0नं0 447 में बम्बूल के 4 पेड लगे हुए है,, उक्त वृक्षो का प्रार्थी का मुआवजा नहीं दिया है मुआवजा राशि 1,00,000/– प्राप्त करने का अधिकारी है । राजष्ट्रीय राजमार्ग सं0 52 के निमार्ण हेतु उपरोक्त भूमि अवाप्त की गई जिसका मुआवजा तय कर दिनांक 20.9.2017 एवं दिनांक 16.11.2017 को प्रतिपक्षी नं0 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में घोषित किया जाकर अवार्ड जारी किया गया । दस्तावेज का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी को प्रचलित बाजार दर, डी0एल0सी0 दर से काफी कम कीमत पर प्रार्थी की भूमि की कीमत का मूल्यांकन कर मुआवजा राशि निर्धारित की गयी है जो अनुचित है । प्रार्थी प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि प्राप्त करने का एवं नियमानुसार सोलेशियम की राशि एवं अन्य देय लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रार्थीगण की भूमि का 5,18,630/– प्रति हेक्टेयर की दर से अर्थात 82,980/– प्रति बीघा की दर से तीन गुना मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है जबकि प्रार्थी प्रचलित बाजार दर के आधार पर 2,53,500/– प्रति बीघा के तीन गुना के हिसाब से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है उपरोक्त दर से समीप की भूमि विक्रय की गयी है, पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न है । अतः संशोधित अवार्ड पारित किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

5. वकील रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने अपने जवाब के विशेष कथन में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए जाहिर किय कि सक्षम प्राधिकारी प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति) रामगंजमण्डी द्वारा भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) के अन्तर्गत गजट अधिसूचना दिनांक 7.4.2017 दिनांक 13.6.2017 एवं दिनांक 23.8.2018 द्वारा जारी किया गया, जिसकी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति हेतु गजट अधिसूचना दिनांक 21.7.2017 एवं 29.9.2017 द्वारा जारी की गई । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत 3जी(5) एवं संशोधित अधिनियम 1997 सपठित मध्यस्थ अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत न्ययालय जिला कलक्टर कोटा एवं पदेन मध्यस्थ सुलह अधिकारी कोटा के समक्ष 14 प्रकरण एवं अन्य प्रस्तुत हुये है जो कि तहसील रामगंजमण्डी के ग्राम बास्याहेडी, अरनियां कला, गोला से संबंधित है । उक्त ग्रामों के कई भू–स्वामियों /हितबद्व व्यक्तियों द्वारा मुआवजा राशि नहीं लियें जाने अथवा कब्जा नहीं दिये जाने जैसे प्रकरणों के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ई के उपधारा 2 मुआवजा राशि नहीं लिये जाने के अन्तर्गत प्रथम लोक सूचना दिनांक 8.5.2018 को दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित कर दी गयी थी जिसके 60 दिवस की अवधि दिनांक 7.7.2018 को पूर्ण की जा चुकी है, तदौपरान्त धारा 3–ई की उप धारा 2 के अन्तर्गत द्वितीय लोक सूचना दिनांक 10.9.2015 को दैनिक भास्कर एवं राज0 पत्रिका में सूचना प्रकाशित की जा चुकी है, जिससे यह सिद्व है कि प्रार्थीगण के अपने प्रार्थना पत्र में सूचना नहीं दिये जाने का कथन मिथ्या एवं त्रुटिपूर्ण है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–ई की उप धारा (2) के अंतर्गत नोटिस जारी किये जाने की तिथि से 60 दिवस की समयावधि पूरी हो जाने के कारण जिला कलेक्टर कोटा को कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी को भूमि पर कब्जा दिलाये जाने का प्रावधान है । उक्त सभी कारण भूमि की डीएलसी दर से संबंधित है एवं आपसे निवेदन है कि भविष्य में इन प्रकरणों में होने वाली निर्णय एवं निर्णय अनुसार नियमबद्व कार्यवाही करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वचनबद्व है । अतः निवेदन है कि तहसील रामगंजमण्डी के ग्राम बास्यांहेडी, अरनियां कलां, एवं गोला में भूमि अवाप्ति के लम्बित उपरोक्त 14, एवं अन्य प्रकरणों का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–ई के उप–धारा –2 के प्रावधानों के तहत अवाप्तशुदा भूमि को, भूमि के कब्जे हेतु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देशित आदेश प्रदान करें एवं समस्त मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जा सकें । ताकि आमजन के हित में परियोजना का कार्य समयबद्व रूप से पूर्ण किया जा सकें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर गनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र नेशनल हाईवे अधिनियम की धारा 3 जी(5) आर्बीट्रेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत कर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम बास्याहेडी के ख0नं0 411 की 0–4127 हे0, व 0–1377 एवं ख0नं0 446 की 0–0505 हे0 व 0–1901 हे0, ख0नं0 447 की 0–0121 हे0 व 0–0179 हे0 कृषि भूमि का मुआवजा दिनांक 20.9.2017 एवं दिनांक 16.11.2017 को को प्रतिपक्षी नं0 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा वक्त अवाप्ति अधिसूचना की प्रचलित डीएलसी से मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर मुआवजा तय किया गया है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क में बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मात्र ग्राम अरन्याकलां का एक पंजीकृत दस्तावेज पंजीयन कमांक 2015000792 दिनांक 13.5.2015 का प्रस्तुत है जबकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के नियम 26(।)(बी) के अनुसार औसत

जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

विक्रय मूल्य समान किस्म की भूमि समीपस्थ गॉव के विक्रय को आधार मानकर तय करने का प्रावधान है । प्रार्थी ने मात्र एक विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है । अतः उस विक्रय मूल्य को औसत बाजार मूल्य नहीं माना जा सकता है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.9.2017 एवं दिनांक 16.11.2017 में कोई हस्तक्षेप का ठोस कारण पत्रावली में नहीं होने से प्रार्थना पत्र आधारहीन प्रतीत होता है.।

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.9.2017 एवं दिनांक 16.11.2017 यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner